राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015 जयपुर दिनांकः - 9 DEC 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 04.08.2021 द्वारा अधिसूचित सवाईमाधोपुर शहर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान 2035 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 26.11.2021 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान के संबंध में एवं न्यास मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, सवाईमाधोपुर मास्टर प्लान 2035 में मौके पर किये गये निर्माण के मध्यनजर मास्टर प्लान में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 26.11.2021 में लिये गये निर्णय एवं न्यास के प्रस्ताव अनुसार सवाईमाधोपुर मास्टर प्लान 2035 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त सवाईमाधोपुर मास्टर प्लान 2035 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

9/12/2021

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय